

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1336]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2015/आषाढ़ 5, 1937

No. 1336]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2015/ASADHA 5, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2015

सं. 51/2015

आय-कर

का.आ. 1703(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 197क की उप-धारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय 17 के अधीन कर की कोई कटौती उक्त अधिनियम की धारा 115 पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में यथा परिभाषित किसी विनिधान निधि द्वारा प्राप्त, उक्त अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चखक) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के संदायों पर नहीं की जाएगी।

2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 275/11/2015-आईटी (बी)]

संदीप सिंह, अवर सचिव